फा.सं.2.7(I)/2016-सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
(सा.II अनुभाग)

सेवा में

प्रिय महोदय,

फैक्स मशीनों के प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से **श्री आर.के. दीक्षित, अवर सचिव (सा.II)** को संबोधित मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं जिस पर ''**फैक्स मशीनों के अनुरक्षण के लिए निविदा''** लिखा हो जो **अनुबंध-I** में विनिर्दिष्ट मदों के लिए सं.लो.से.आ. के गेट 'सी' स्थित स्वागत कक्ष में रखे गए निविदा बाक्स में दिनांक **27-02-2017** को **3.00 बजे** तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जानी चाहिएं।

1. बोलीदाताओं को **'वित्तीय' बोली**' जो निम्नलिखित अनुलग्नकों के साथ **पृथक** लिफाफे में मुहरबंद हो, प्रस्तुत करनी होगी:-

(क) लिफाफे में केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि में फैक्स मशीनों के अनुरक्षण के कार्य आदेशों की प्रति सहित सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली पर बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 2,000/-रू.(दो हजार रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि भी हो। वित्तीय बोली के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की संपूर्ण सूची **अनुबंध-II** में देखी जा सकती है। लिफाफे पर **'फैक्स मशीनों के अनुरक्षण के लिए वित्तीय बोली'** लिखा हो। वित्तीय बोली उसी दिन 3.30 बजे कमरा नं.208, दूसरी मंजिल, आयोग सचिवालय, सं.लो.से.आ., नई दिल्ली-110069 में ऐसी बोलीदाताओं जो उस अवसर पर उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी। नियत तारीख/समय के बाद प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

(i) दरें बोली खोलने की तारीख और साइट अनुरक्षण आधार पर उद्धृत किए जाने से एक वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी। शुल्कों/करों में कमी का लाभ बोलीदाता द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को दिया जाएगा।

(ii) असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि नीचे खंड-IV के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति के बाद लौटा दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जमा धरोहर राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(iii) कर/लेवियां, यदि कोई हो, को अलग से उद्धृत किया जाए। ऐसा न होने पर माना जाएगा कि उद्धृत की गई दरों में कर शामिल है और इस कार्यालय द्वारा करों को आगे शामिल करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) सफल बोलीदाताओं को फर्म को आर्डर देने से पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति के रूप में कुल संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि जमा करानी है जो संविदा अवधि के संतोषजनक पूरा होने के बाद वापस कर दी जाएगी। बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से पूरे **60 (साठ दिन)** की अवधि के लिए वैध होगी।

(v) मदों की स्वीकृति अथवा अन्यथा के संबंध में इस कार्यालय के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

(vi) अनुरक्षण दरें ''प्रति मशीन'' आधार पर उद्धृत की जाएंगी और इसमें सभी असली कलपुर्जों की लागत शामिल होगी।

(vii) सेवा अनुरक्षण संविदा में फैक्स मशीन की तिमाही सेवा/ओवर हॉलिंग, मरम्मत शामिल होगी जिसमें कलपुर्जों आदि की लागत और बदलना शामिल है।

(viii) फैक्स मशीनों के संबंध में प्रदान की जाने वाली अनुरक्षण सेवा ''जहां है, जिस स्थिति में है, के आधार पर'' देनी होगी।

(ix) अनुरक्षण कॉल के लिए प्रत्युत्तर समय दो घंटे से अधिक का नहीं होगा।

(x) सिस्टम डाउन समय शिकायत करने के समय से **48 (अड़तालिस)** घंटे से अधिक का नहीं होगा। यदि सिस्टम डाउन समय 48 घंटे से अधिक का है तो बोलीदाता को ठीक फैक्स मशीन प्रदान करनी होगी। यदि फैक्स मशीन की मरम्मत होनी है या काम नहीं करने के रिपोर्ट के समय से 48 घंटे की अवधि के भीतर वैकल्पिक फैक्स मशीन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो संघ लोक सेवा आयोग अन्य किसी

एजेंसी द्वारा उसकी मरम्मत कराने अथवा बदलने का विकल्प अपना सकता है और उस पर आई लागत और व्यय को बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

(xi) यदि सिस्टम डाउन समय ऊपर विनिर्दिष्ट की गई अनुज्ञेय सीमा से अधिक है तो संघ लोक सेवा आयोग के पास उस विशेष बिल से 1 प्रतिशत प्रतिदिन विलंब की दर से शिकायतों के निपटान में संतोषजनक अनुरक्षण सेवा प्रदान करने में उनकी विफलता के लिए मासिक बिल पर शास्ति लगाने का अधिकार सुरक्षित है जो उस विशेष मशीन के कुल बिल के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन है।

(xii) सफल बोलीदाता द्वारा अनुरक्षण सेवाओं के संतोषजनक रूप से निष्पादन न करने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग को एक माह का नोटिस देकर और इसे अन्य किसी फर्म को देकर तथा इस कार्यालय को हुए नुकसान/क्षति के संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथानिर्णित ऐसी धनराशि बोलीदाता से वसूल कर ए एम सी को निरस्त करने का विवेकाधिकार होगा। इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(xiii) बोलीदाता को यह प्रमाणित करना होगा कि फैक्स मशीन के पुर्जों की मरम्मत/बदलने का कार्य असली निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से किया जाएगा।

(xiv) बोलीदाता को सुबह 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों को सेवा प्रदान करनी होगी। इंजीनियर को आवश्यकतानुसार सामान्य-।। अनुभाग में रिपोर्ट करना होगा। इंजीनियर को हर वक्त अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन रखना होगा। संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकतानुसार इंजीनियर को गैर कार्य दिवसों में भी सेवा प्रदान करनी होगी।

(xv) काल्पनिक और/अथवा सशर्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xvi) **<u>आयकर:</u>** यथा लागू निविदा बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य। निविदाकारों को आयकर निकासी प्रमाण पत्र के साथ अपना स्थाई आयकर सं. प्रस्तुत करना चाहिए। फर्म को निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, यदि वह आयकर संदत करती है।

''यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम तत्काल पूर्व के तीन वर्षों के दौरान आय/धन छुपाने के लिए दंडित अथवा दोषी नहीं ठहराए गए हैं।''

(xvii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास बिना कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xviii) बोलीदाताओं को अपने स्वयं के सीधे टेलीफोन नं. (कार्यालय के साथ आवास)और अपने मोबाइल नं. भी दर्शाने होंगे ताकि आपात स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके।

(xix) **<u>अनिवार्य बाध्यता</u>**

फर्म अपने उचित नियंत्रण से परे कारणों के कारण जिसमें दैवीय घटना, लड़ाई, दंगे, व्यापार-अवरोधों, हड़ताल, तालाबंदी, किसी सरकारी, प्राधिकरण के कार्य, लाइसेंस प्राप्त करने में विलंब अथवा संविधियों के अंतर्गत आवेदनों के निरस्त होने, विद्युत विफलता, दुर्घटना अथवा बाधा अथवा फर्म के किसी दुराशय के प्रकट न होने के कारण उद्भूत संकार्यों, आग अथवा बाढ़ भी शामिल हैं, के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

(xx)**<u>भुगतान निबंधन:</u>** भुगतान उपयोगकर्ताओं की अनुशंसा पर तिमाही आधार पर किया जाएगा। उपयोगकर्ता यह प्रमाणित करेंगे कि मशीन को फर्म द्वारा संतोषजनक ढंग से अनुरक्षित किया गया है। भुगतान के लिए बिलों के साथ उचित प्रपत्र में प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xxi) **<u>जोखिम खरीद खंड:</u>** यदि संविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के और उसकी उचित स्वीकृति के बाद अर्थात् आर्डर देने के बाद इन निविदा दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं अथवा आवश्यकतानुसार कार्य के निष्पादन अथवा दी गई समय अनुसूची में विफल रहता है अथवा किसी भी समय संविदा को छोड़ देता है तो संघ लोक सेवा आयोग को धरोहर राशि जमा के जब्त करने बशर्ते यह संविदाकार द्वारा जमा की गई हो और संविदाकार के जोखिम और परिणाम पर कार्य को अन्य एजेंसियों से कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और संविदा बोली मूल्य के बीच लागत अंतर अन्य आकस्मिक प्रभारों जिसमें कर भाड़ा और बीमा आदि शामिल है, सहित संविदाकार से वसूला जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को अन्य किसी प्रदाता की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए बाध्य किए जाने के मामले में यदि प्रभारित दर उस फर्म से कम है तो इस बाबत कोई लाभ संविदाकार को नहीं दिया जाएगा।

(xxii) सभी बोलीदाता यह प्रमाणित करेंगे कि निविदा के सभी निबंधन और शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं।

(xxiii) संविदा अवधि के दौरान संघ लोक सेवा आयोग प्रो-राटा आधार पर फैक्स मशीनों के उक्त मॉडलों में जोड़ अथवा हटा सकता है।

(xxiv) उक्त निविदा नोटिस संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट: **upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

(xxv) बोलियां वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख से **6 (छः माह)** के लिए वैध रहेंगी।

(xxvi) संविदा अवधि के दौरान स्वीकृत दरों में वृद्धि के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार कर का भुगतान किया जाएगा।

(xxvii) <u>मध्यस्थता</u>

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी निर्णय, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

(xxviii) <u>क्षेत्राधिकार</u>

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी का भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में ही दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और अब से दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होगें।

(xxix) संविदा, संविदा प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। तथापि संघ लोक सेवा आयोग अपने स्वविवेक पर इसे उन्हीं निबंधनों, शर्तों एवं दरों पर एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा सकता है।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा.)
संघ लोक सेवा आयोग

अनुबंध-I

फैक्स मशीन के लिए मूल्य सूची

क्र. सं.	मशीन की किस्म	मॉडल	मशीनों की सं.	प्रत्येक मशीन की वर्षवार दर	कुल राशि	कर, यथा लागू अनुसार
1.	कोनिका मिनोल्टा	पेजप्रो 1590एमपी	13			
2.	पैनासोनिक	केएक्सएमबी-1530	04			
3.	कैनन	एमएफ 4750डीएन	02			
4.	कैनन	जेएक्स-201पी/210	05			
5.	कैनन	328वीपी	01			
6.	कैनन	एल220	08			
7.	रिको	एसपी212	04			
8.	कैनन	एल-140	02			
9.	कैनन	822	01			
		कुल	40			

नोट 1: कर यदि कोई हो, उनका उल्लेख अलग से किया जाएगा। ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि उद्धृत दरों में सभी कर शामिल हैं और इन करों को शामिल करने के बारे में कार्यालय द्वारा अन्य कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट 2: प्रति मशीन उद्धृत दर में सामग्री के संघ लोक सेवा आयोग में परिवहन सहित समस्त खर्च शामिल होने चाहिए।

नोट 3: सभी मदों को एक साथ लेते हुए वित्तीय मूल्यांकन प्रति मशीन समग्र आधार पर किया जाएगा।

अनुबंध-।।

<u>वित्तीय बोली के साथ जोड़े जाने वाले दस्तावेजों की सूची</u>

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में 2000/-रू. (दो हजार रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश।
2. इस आशय की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र कि फर्म को सभी शर्तें स्वीकार्य हैं।
3. संगठन के पास उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं का विवरण।
4. सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र की फर्मों की सूची जिन्हें निविदादाता ने वार्षिक अनुरक्षण संविदा सेवाएं प्रदान की हैं/कर रहे हैं। इन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र की फर्मों के कार्य आदेश की प्रतियां भी, जहां तक संभव हो, दी जाएं।
5. वर्ष 2015-16 सहित पिछले **तीन वर्षों** का तुलन पत्र तथा आयकर विवरण।

(आर.के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामा.।।)
संघ लोक सेवा आयोग

सेवा में

सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग,
शाहजहां रोड़,
नई दिल्ली-110069

विषय:-फैक्स मशीनों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु निविदा।

उपर्युक्त विषयक निविदा के संदर्भ में, हम वित्तीय बोली, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आपके विचारार्थ संलग्न कर रहे हैं:-

(i) ---------------------- रूपये की धरोहर राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट सं.------------------ दिनांक ------------- के रूप में।
(ii) पैन कार्ड की प्रति
(iii) अनुबंध-। में वित्तीय बोली

2. प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

3. प्रमाणित किया जाता है कि हमें पिछले तीन वर्षों के दौरान आय/धन छिपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं पाया गया है।

भवदीय,

फर्म का नाम एवं पता
फोन/दूरभाष सं.